कुलसचिव कार्यालय

उ0प्र0 पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो–अनुसंधान संस्थान, मथुरा–281001(उ0प्र0)।

पत्रांक सं0 523 /यूपीडीडीवीयू/आर/2026 दिनांकः 06 जून, 2026

प्रदेश के निजी संस्थानों को पैरा पशु चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु इस विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान किए जाने के संबंध में सूचना

उ0प्र0 शासन के आदेश सं0 07/2024/आई/798726/37–30099/8/2023 दिनांक 18.11.2024 के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के पैरा पशु चिकित्सा के क्षेत्र में निजी संस्थानों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र मे डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु इस विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया था। सम्बद्धता प्रदान किए जाने की कार्यवाही के प्रथम चरण में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे है। उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में सम्बद्धता हेतु आवेदन उन्हीं संस्थानो से आंमत्रित किए जा रहे हैं, जिन्होने शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर, डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सम्बद्धता हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि शासन को जमा कर दी है। सम्बद्धता हेतु नियमावली व आवेदन प्रपत्र (Annexure II, III व IV) विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट www.upvetuniv.edu.in पर अपलोड कर दी गई है।

संस्थानों से निवेदन है कि उपरोक्त आवेदन प्रपत्र पूर्णरुप से भरकर मय संलग्नकों एवं निरीक्षण शुल्क रु0 1.00 लाख का बैक ड्राफ्ट जो किसी भी सरकारी बैंक, मथुरा में देय हो 'वित्त अधिकारी, दुवासु मथुरा' के नाम से आवेदन पत्र के सलंग्न करना होगा। आवेदन पॉच प्रतियों में जमा करना होगा।

प्रथम चरण में आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर कर (मय संलग्नकों के) सीव्ड लिफाफे में, केवल रजिस्टर्ड डाक द्वारा कुलसचिव कार्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि दिनांक 08 जुलाई 2026 (सायं 5:00 बजे) है। उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदन पत्र सॉफ्ट कॉपी में (PDF & Word format, both) कुलसचिव कार्यालय की अधिकारिक ई–मेल आई0डी0 registrar.duvasu@upvetuniv.edu.in पर अन्तिम तिथि से पूर्व प्रेषित होना आवश्यक है। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा आवेदन पत्र प्राप्त होने में किसी भी प्रकार के विलम्ब के कारण सम्बद्धता प्रदान करने की कार्यवाही/प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब के लिए यह विश्वविद्यालय जिम्मेदार नही होगा।

उपरोक्त आदेश स़क्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

कुलसचिव